न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

मि0न0 188/2022(जी.सी.एम.एस. 2022/184) पीठासीन अधिकारीः— श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

नसरू पुत्र अंधू जाति मेव नि0 ग्राम बल्देववास तहसील व जिला डीग(राज0)

—सायल

बनाम

1. फरमीना पुत्री टुण्डल जाति मेव निवासी नावली तहसील फिरोजपुर जिला गुडगांवा(हरियाणा)
2. मौहम्मद नमासा टुण्डल जाति मेव नि0 काले का वास,
3. अंजुम
4. अनीशा
5. आईशा — पुत्रीयां जान मौहम्मद — वारिस काबिज जायदाद हमीदी पत्नी जान मौहम्मद पुत्री टुण्डल
6. मुनफेद
7. बर्षा
8. साहिद पुत्र जान मौहम्मद — जातियान मेव नि0 नावली तहसील फिरोजपुर जिला गुडगांवा (हरियाणा)

—गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 29.01.2025

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बरान 267/0.31, का हिस्सा 5/31, 134/0.27, 185/0.25, 186/0.12, 187/0.25, का हिस्सा 1/8 व 271/0.40, 38/0.40, 41/0.60, 42/0.58, 28/0.20, हिस्सा 1/128 व 290/359/0.38 का हिस्सा 1/160 व खसरा नम्बर 207/0.50 का हिस्सा 1/14 व 292/0.31, 293/0.30, 294/0.30, 295/0.30, 296/0.28, 297/0.30 हिस्सा 1/6 व 288/0.37, 289/0.42, 290/0.40, 291/0.44, 298/0.42, 299/0.37, 300/0.38 का हिस्सा 3/32 विवादित है। उक्त आराजी सायल के चाचा व गैर सायल संख्या 02 व 03 के पिता व गैर सायल संख्या 4 लगायत 9 के नाना टुण्डल पुत्र बाजखॉ जाति मेव निवासी ग्राम बल्देववास तहसील डीग हाज रूधखोह तहसील डीग की कब्जे काश्त खातेदारी की स्वयं की आय से क्रयशुदा आराजी थी जिसने दिनांक 18.07.2011को अपनी उक्त आराजी की वसीयत सायल नसरू व गैर सायल संख्या 04

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 09 की माता हमीदी पत्नी जान मौहम्मद पुत्री टुण्डल व तरतीवी गैर सायल संख्या 02 व 03 के पक्ष में तहरीर कराकर सब रजिस्ट्रार डीग के समक्ष पंजीबद्व कराकर हवाले सायल की। गैर सायल संख्या 04 लगायत 09 की माता हमीदी का देहांत हो गया है जिसके गैर सायलान संख्या 04 लगायत 9 वारिसान है। उक्त वसीयतकर्ता टुण्डल पुत्र बाजखॉ का देहांत 27.09.2016 को हो गया है। जिसकी मृत्यु के बाद से मुताविक वसीयत सायल एवं गैर सायल पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है और इस समय भी सायल व गैर सायलान का कब्जा काश्त चला आ रहा है और आराजी मुत0 के हिस्सा 1/4 पर सायल व हिस्सा 1/4 पर व हिस्सा बरावर गैर सायल संख्या 2 व 3 व हिस्सा 1/4 पर व हिस्सा बरावर गैर सायल संख्या 4 लगायत 9 काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु खिलाफ मौका व कब्जा राजस्व रिकार्ड में सायल के चाचा व गैर सायल संख्या 2 व 3 के पिता व गैर सायल संख्या 4 लगायत 9 के नाना मृतक टुण्डल पुत्र बाजखॉ जाति मेव नि0 बल्देववास तहसील डीग का नाम दर्ज किया जा रहा है। जिसे कलमजन कराकर सालय व गैर सायल उपरोक्तानुसार अपने आपको दर्ज करा पाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि गैर सायलान को ता फैसला दावा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जावे कि वह नवीन आराजी खसरा नम्बरान 267/0.31, का हिस्सा 5/31, 134/0.27, 185/0.25, 186/0.12, 187/0.25, का हिस्सा 1/8 व 271/0.40, 38/0.40, 41/0.60, 42/0.58, 28/0.20, हिस्सा 1/128 व 290/359/0.38 का हिस्सा 1/160 व खसरा नम्बर 207/0.50 का हिस्सा 1/14 व 292/0.31, 293/0.30, 294/0.30, 295/0.30, 296/0.28, 297/0.30 हिस्सा 1/6 व 288/0.37, 289/0.42, 290/0.40, 291/0.44, 298/0.42, 299/0.37, 300/0.38 का हिस्सा 3/32 हिस्सा 1/4 सायल के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत व रहन वय मुन्तकिल नहीं करने हेतु यथा स्थिति के आदेश फरमायें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 12.11.2024 को गैर सायल संख्या 2 व 3 की ओर से श्री ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता उपस्थित तथा प्रति0 संख्या 2 व 4 लगायत 8 की ओर से जबाव पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि सायल का वाद नसरू बनाम तहसीलदार व अन्य के नाम से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में तहसीलदार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। गैर सायल संख्या 8 जिसे सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में साहिद नाम होना दर्ज किया है। वक्त दायरी दावा नावालिग था व सायल ने प्रार्थना पत्र में गैर सायल संख्या 8 का नाम बर्षा दर्ज किया है। जबकि उसका सही नाम वरीसा है व गैर सायल संख्या 6 का नाम मुनफेद दर्ज किया है उसका सही नाम मुन्फीदा है व हम गैर सायलान के सही सही पते भी प्रार्थना पत्र में गलत है। सायल ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत करते हुए उक्त खसरा नम्बरान में प्रार्थना पत्र में अंकित हिस्सों को विवादित होना वर्णित किया है। वर्णित आराजी का टुण्डल पुत्र बाजखॉ जाति मेव नि0 ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

बल्देववास तहसील डीग की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी होना स्वीकार है। गैर सायल संख्या 2 टुण्डल की पुत्री व गैर सायल संख्या 3 लगायत 9 टुण्डल के नमासे व नमासी है। सायल विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर अपना नाम दर्ज करा पाने का अधिकारी नहीं है। जबाव पेश कर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र सायल अस्थाई निषेधाज्ञ खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 13.01.2025 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञ पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हालांकि पक्षकारों के अधिकार मूल वाद में साक्ष्य द्वारा तय किये जायेंगे। वर्तमान मामले में न्यायालय को **प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति** का बिन्दु मुख्य रूप से देखना है।

प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :– वकील प्रति0/गैर सायल का कथन रहा है कि सायल के द्वारा वसीयत के आधार पर दावा पेश किया गया है। परन्तु दावे में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान वसीयत के आराजी खसरा नम्बरान से मेल नहीं खा रहे है। सायल के द्वारा गलत तथ्यों के साथ दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है जोकि गलत है। अतः दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान का अवलोकन किया गया। वसीयत में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान दावे में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान से अलग है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला सायल के पक्ष में सिद्ध नहीं होकर गैर सायलान के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलन :–

उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया केस गैरसायलान के पक्ष में प्रमाणित हुआ है। न्यायालय के स्थगन आदेश से गैर सायलान प्रभावित हैं। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन का बिन्दु सायल के पक्ष में ना होकर गैरसायलान के पक्ष में प्रमाणित है।

अपूर्णीय क्षति :– वकील प्रति0/गैर सायल का कथन रहा है कि सायल के द्वारा वसीयत के आधार पर दावा पेश किया गया है। परन्तु दावे में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान वसीयत के आराजी खसरा नम्बरान से मेल नहीं खा रहे है। सायल के द्वारा गलत तथ्यों के साथ दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञ पेश किया गया है जोकि गलत है। अतः दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान का अवलोकन किया गया। वसीयत में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान दावे में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान से अलग है। जोकि सायल के द्वारा गैर सायलान के विरूद्व प्राप्त की गई अस्थाई निषेधाज्ञा तथ्यों के विपरीत/गलत होना प्रतीत है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है।

प्रथम द्वष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति सिद्व करने में गैर सायलान सफल रहे है। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी प्रथम द्वष्ट्या स्थगन आदेश दिनांक 20.05.2024 प्रत्याहारित किया जाकर प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट को खारिज किया जाना उचित प्रतीत है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है किः–

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, अस्वीकार/खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा से जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.05.2024 (कैफियम क्रमांकः रजस्व/2024/705 दिनांक 05.06.2024) को निरस्त/खारिज किया जाता है।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner